30.11.22 प्रार्थी एवं उनके वकील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई।

पक्षकारान मय उनके अधिवक्ताओं ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम धोलाडेर तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 124/24 व 24 के मध्य विवादित तरमीम दुरस्ती को लेकर दायर आवेदन में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्रांक 1619 दिनांक 16.08.2021 को मद्देनजर रखते हुए पक्षकार आपसी सहमति से तरमीम दुरस्त करवाते हुए जरिये राजीनामा के आवेदन विड्रो करना चाहते है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नक्शें के आधार पर तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश पारीत किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अद्यतन तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सिणधरी से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1619

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

दिनाक 16.08.2021 को प्राप्त हो चुकी है। चूंकि के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने से दिनांक 16.08.2021 का प्राप्त मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए तद्नुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार मौजा ग्राम धोलाडेर तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 124/24 व 24 के मध्य स्थापित वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 30.11.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/11/22

उपखण्ड अधिकारी

सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:44 IST
Reason: SelfAttested